सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 04, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 23, 2024 *Phalguna 04 Friday , Saka 1945- February 23 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 07, 2024

संख्या F.32(B)(1)(After Policy)EX/L/2024-25-03000-part-1/557 :-राज्य सरकार की आज्ञा पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांक 01 फरवरी, 2024 के द्वारा आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 3.8.5 के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2024-25 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.स	ENA निर्मित मदिरा का प्रकार	180 एम.एल. निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) राशि रूपयों में	180 एम.एल. निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) राशि रूपयों में
1	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	52	63
2	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	51	61
3	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पैक	52	62
4	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	45	54
5	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	73	88
6	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	71	85
7	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	72	87

- उक्त अधिसूचना 01.04.2024 से प्रभावी रहेगी।

ओम कसेरा,

आबकारी आयुक्त,राजस्थान।

7350

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।